बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–CM-e-dash-06/2020- 1198 (मो०) /पटना, दिनांक– 15/6/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर।

विषयः–**ग्राम अकौना, थाना–सिंधिया, जिला–समस्तीपुर के सिंधिया अंचल में बिहार सरकार के जल स्त्रोत को अवैध रूप से अतिक्रमण कर मिट्टी भरने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**श्री महेश प्रसाद यादव, ग्राम–अकौना, थाना–सिंधिया, जिला–समस्तीपुर से प्राप्त आवेदन।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में **श्री महेश प्रसाद यादव, ग्राम–अकौना, थाना–सिंधिया, जिला–समस्तीपुर** के सिंधिया अंचल में सूचना दी है कि उनके ग्राम में बिहार सरकार की भूमि पर प्राकृतिक जल स्त्रोत है, जिसका उपयोग सर्वसाधारण के द्वारा किया जाता है, परन्तु कुछ अतिक्रमणकारी उस पर अवैध कब्जा कर उस जल स्त्रोत को भरना चाहते हैं।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि यह जल स्त्रोत यदि विभागीय है तो मामले की जांच की जाय। यदि योजना पर अतिक्रमण हो तो अंचलाधिकारी के कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment Act के तहत् मुकदमा दायर करें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
15/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1198 (मो०) /पटना, दिनांक– 15/6/2020

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, दरभंगा/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1198 (मो०) /पटना, दिनांक– 15/6/2020

प्रतिलिपि– श्री महेश प्रसाद यादव, ग्राम–अकौना, थाना–सिंधिया, जिला–समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-\JUNE-2020\E.E. SAMASTIPUR-ENCROCHMENT-03-06-2020.DOCX

127

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग बिहार
नई सचिवालय, पटना - 800015

विषय : ग्राम अकौना, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर में बिहार सरकार के अनाबाद (सर्वसाधारण) जलस्रोत पर अतिक्रमण के संबंध में।

अ०स०अ०(अधि)

महाशय,

ग्राम अकौना, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर में एक जलस्रोत है जिसका स्वामित्व बिहार सरकार के पास है एवं इसका उपयोग ग्रामीणों के द्वारा मवेशी को पानी पिलाने, सिंचाई आदि के लिए किया जाता है। इस जलस्रोत का विवरण निम्न प्रकार है :

मौजा	-	रामपुर बहोर
थाना सं.	-	123
खाता (नया)	-	467
खेसरा (नया)	-	249
रकबा	-	21 डिसमिल
किस्म	-	अनाबाद (सर्वसाधारण)

2066
26/5/20

2. इस जलस्रोत पर गांव के कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसकी सूचना जिलाधिकारी समस्तीपुर को दिनांक 15.10.2019 को दी गई थी। इसकी प्रति संलग्न है। जिलाधिकारी समस्तीपुर ने ग्रामीणों के आवदन को अंचलाधिकारी सिंघिया को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया था। अंचल अधिकारी ने इसकी जांच राजस्व कर्मचारी से करवाई थी और इस बात की पुष्टि हुई थी कि इस जलस्रोत को इस गांव के कुछ लोग मिट्टी से भरना चाहते हैं। इस जांच प्रतिवेदन के बाद भी अंचलाधिकरी ने इस अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

27-05-2020

3. पुन: इस जलस्रोत का चयन "जल जीवन हरियाली" योजना के अंतगर्त जीर्णोधार के लिए किया गया था। राजस्व कर्मचारी ने मौके पर आकर इसका सीमांकन भी किया। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सिंघिया ने दिनांक 03.02.2020 को अंचलाधिकारी सिंघिया से अनुरोध किया था कि इस जल संचय क्षेत्र (दोबरा) को अतिक्रमण मुक्त कर इसका जीर्णोधार करें। लेकिन अंचलाधिकारी सिंघिया की तरफ से इस संबंध में कोई कार्रवाई नही की गई। इसी बीच लॉकडॉउन का फायदा उठाते हुए इस गाँव के निम्नलिखित व्यक्तियों ने दिनांक 26.04.2020 को ट्रैक्टर एवं जेसीबी के साथ इस जलस्रोत को भरने का प्रयास किया :

2129 (मो०)
27-05-2020

(i) श्री मुकुंददेव यादव, पिता - स्व. रामजी यादव, निवासी ग्राम अकौना, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर
(ii) श्री राजू कुमार यादव, पिता - श्री मुकुंददेव यादव, निवासी ग्राम अकौना, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर
(iii) श्री पंकज कुमार यादव, पिता - श्री मुकुंददेव यादव, निवासी ग्राम अकौना, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर

इसकी सूचना अंचलाधिकारी सिंघिया को दी गई थी और उन्होनें स्वयं आकर इस अतिक्रमण को रोका था।

क्रमशः पेज सं० 2

4. दिनांक 15.05.2020 की मध्य रात्रि में इन्हीं लोगों ने ट्रैक्टर एवं जेसीबी का प्रयोग करके लगभग डेढ़. सौ ट्रैक्टर मिट्टी से इस जलस्रोत का एक तिहाई हिस्सा भर दिया है एवं बाकी हिस्सा भी भरने की तैयारी में हैं। इन लोगों ने रात में कई राउंड हवाई फायरिंग भी की है ताकि कोई ग्रामीण इनको मना करने के लिए आगे नहीं आए ।.मैं इस घटना की सूचना देने दिनांक 16.5.2020 को मैं स्वयं अंचल अधिकारी के कार्यालय एवं सिंघिया थाना गया था, दोनों में से कोई नहीं मिले और वहां पर किसी ने मेरे आवेदन भी रिसीव नहीं किया।

5. उक्त परिस्थिति में अकौना के इस जलस्रोत में अतिक्रमण हुआ है उसकी फोटो मैं आपकी जानकारी हेतु संलग्न कर रहा हूं। यहां गांव का माहौल काफी तनावपूर्ण है और किसी समय भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है । जिस तरह से सूचना मिलने के बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी तक न तो अतिक्रमण रोकने की कोई ठोस कार्रवाई की गई है और न ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है, जिससे स्थानीय प्रशासन का इस अतिक्रमण में भागीदारी की प्रब संभावना दिख रही है।

"जल जीवन हरियाली" योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है लेकिन जमीन पर इस योजना का क्या हाल है, वह आप इस घटना से समझ सकते हैं। अत: आपसे प्रार्थना है कि अविलंब अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दें ताकि इस जलस्रोत को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

आपका विश्वासी

महेश प्र० यादव

(महेश प्रसाद यादव)

ग्राम अकौना, थाना सिंघिया,

जिला समस्तीपुर

मोबाइल नं. : 9525692038

8292392557

दिनांक :- 18.05.2020

सेवा में,

जिला अधिकारी
जिला –समस्तीपुर
समस्तीपुर (बिहार)

विषय :– समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सिंघिया अंचल में बिहार सरकार के जल–स्त्रोत को अवैध रूप से कब्जा करके इसे मिट्टी से भरने के सम्बन्ध में।

महाशय,

हमलोग ग्राम – अकौना, थाना एवं अंचल –सिंघिया, (थाना सं0 123) , मौजा – रामपुर बहोर, जिला –समस्तीपुर के निवासी हैं। हमारे गाँव में कुछ लोग बिहार सरकार की भूमि जिसमें, प्राकृतिक जल–स्त्रोत है तथा जिसका उपयोग सर्वसाधारण के द्वारा किया जाता है, वैसे जल–स्त्रोत पर अवैध कब्जा करके उसको भरना चाहते हैं।

कुछ स्थानीय दबंग एवं असमाजिक लोग इस जल–स्त्रोत को कब्जा करने के लिए फर्जी कागजात बनवा लिए हैं, जिसमें स्थानीय राजस्व कर्मचारी की भी मिलीभगत है। इनकी योजना है कि रातों रात जे0सी0बी0 मशीन लगाकर इस जल–स्त्रोत को मिट्टी से भर दिया जाय तथा उस जमीन पर कब्जा कर लिया जाय। अगर ऐसा होता है, तो गाँव के आम उपयोग के लिए प्राकृतिक जल–स्त्रोत खत्म हो जाएगा तथा ग्राउन्ड वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा। इन लोगों ने साजिश करके कई जल–स्त्रोत पहले भी भर लिए हैं।

अभी एक जल–स्त्रोत बाकी है, जिसको भरने की साजिश चल रही है। इस जल–स्त्रोत का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	– रामपुर बहोर
थाना नं0	– 123, अंचल –सिंघिया (समस्तीपुर)
खाता (नया)	– 467
खेसरा (नया)	– 249
रकबा	– 21 डिसमल
किस्म	– अनाबाद (सर्वसाधारण)

इस बिहार सरकार के जल–स्त्रोत पर कई लोगों के द्वारा तरह –तरह का दावा किया जा रहा है, एवं इस जल–स्त्रोत को भरने की योजना बनाई जा रही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि इसकी जाँच करवाकर इस गाँव के सर्व साधारण के उपयोग में आने वाली इस जल–स्त्रोत पर अबैध कब्जा होने से रोका जाय।

इसके लिए हमलोग श्रीमान का आभारी रहेगें।

आपका विश्वासी
आवेदकगण

क्रम सं0	नाम	मोबाइल सं0	हस्ताक्षर
1.	उमेश यादव	9565538344	उमेश यादव
2.	राजेन्द्र कुमार	6206016960	Rajendra kumar
3.	मदन यादव	8674896591	मदन यादव
4.	महेश प्रसाद यादव	8292392557	[illegible]
5.	श्याम प्रसाद यादव	9470430929	[illegible]
6.	[illegible] यादव	9570723347	[illegible]
7.	कुमार प्रसाद यादव	9810120011	कुमार
8.	अभिनन्दन कुमार	9370322388	अ. कुमार
9.	[illegible] कुमार	1.1.5 - 7352911230	[illegible]

दिनाँक 15.05.2020 की रात मे किए गए अतिक्रमण का फोटो।